धरमूसिंह सिरसाम
विधायक
मध्यप्रदेश विधान सभा क्षेत्र
भैंसदेही क्र. 133

भोपाल : विधायक विश्राम गृह,
खण्ड 2/44-45, भोपाल
मोबा. : 09424479236
नि. : 07143-290516
आ. : 07143-287287
मु. माथनी, पो. सावलमेंढा
(भैंसदेही), जि. बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक ....

दिनांक 30 JUN 2011

सुश्री अरूणा रॉय,
सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद,
2 मोतीलाल नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली।

विषय :– वर्किंग प्लान के नाम पर वन विभाग के द्वारा प्रजातंत्र, संविधान और कानून को माने जाने से इन्कार करना।

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मध्य प्रदेश के वनमंडलों के वर्किंग प्लान को अनुमोदित कर स्वीकृत करता हैं यह वर्किंग प्लान और इनमें किए गए वानिकी प्रबन्धन भारतीय प्रजातंत्र को, भारतीय संविधान को और संसद, विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को माने जाने से इन्कार करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं।

मध्य प्रदेश की जिलेवार उन भूमियों की जानकारी का पत्रक संलग्न हैं जो वर्किंग प्लान में वन विभाग ने शामिल की जिन्हें भारत सरकार वन मंत्रालय ने स्वीकृत एवं अनुमोदित किया। यह समस्त भूमि राजस्व ग्रामों की सीमा में आती है पटवारी मानचित्र में दर्ज हैं, राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है, जिन्हे लेकर भू–राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में पर्याप्त प्रावधान एवं नियम बने हुए हैं।

भारतीय संविधान में किए गए 73वें संशोधन के तहत स्थापित पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों पर अधिकार सौपे गए हैं, पंचायत उपबन्ध (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 में भी पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार दिए गए हैं लेकिन वर्किंग प्लान इन सभी को माने जाने से इन्कार कर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के द्वारा बनाए गए कानूनों की लगातार अवेहलना कर रहे हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के हाल ही में दिए उत्तरों से हमारा उपरोक्त आरोप स्वतः ही प्रमाणित हो रहा हैं।

संलग्न सूची में बताई गई भूमियों एवं संसाधनों पर वन विभाग ने वन अधिकार कानून 2006 के तहत प्रचलित अधिकारों को लेखबद्ध किए जाने से इन्कार कर, अधिकारों को समाप्त किए जाने हेतु कार्यवाही को प्रचलित रख वन अधिकार कानून को भी माने जाने से इन्कार कर दिया है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य की भी हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

धरमूसिंह सिरसाम

वर्किंग प्लान में शामिल संरक्षित वनभूमि, नारंगी भूमि एवं निजी भूमि का जिलेवार विवरण

जिले का नाम	धारा 4(1) में वनखण्ड की संख्या	अधिसूचित रकबा (हेक्ट. में)	नारंगी भूमि का रकबा (वर्ग कि.मी. में)	निजी भूमि का रकबा (हेक्ट. में)
बालाघाट	56	57087	-	79.160
बैतूल	482	71684	560.63	85.073
सिहोर	74	47105	-	-
राजगढ़	26	21507	-	-
रायसेन	397	118735	-	-
विदिशा	124	63821	38.59	401.666
भोपाल	50	13338	21.60	-
छतरपुर	229	197792	-	-
टीकमगढ़	255	36438	22.46	-
पन्ना	148	336366	41.06	-
छिन्दवाड़ा	538	223498	14.44	4834.904
होशंगाबाद	129	137293	-	-
हरदा	55	31146	5.44	-
ग्वालियर	32	25303	-	-
दतिया	9	19716	-	-
भिन्ड	35	5192	-	-
मुरैना	51	67145	-	-
श्योपुर	93	78803	-	-
इन्दौर	8	3604	-	-
धार	29	47390	-	-
झाबुआ	10	22936	-	-
जबलपुर	53	19370	386.00	-
कटनी	104	41893	-	-
मंडला	218	2640	267.51	-

डिण्डौरी	-	-	89.69	-
खण्डवा	150	3561	-	-
बुरहानपुर	28	3962	-	-
बड़वानी	7	311	259.00	-
खरगोन	34	1130	-	-
रीवा	42	36354	-	-
सतना	90	201014	-	-
सीधी	416	167853	-	282.444
सागर	512	100354	55.35	1533.95
दमोह	176	56758	39.29	28.170
नरसिंहपुर	149	69633	-	-
सिवनी	298	24956	-	1386.796
शिवपुरी	224	152450	-	4418.896
गुना	151	137442	-	6476.388
अशोकनगर	45	30512	-	2452.949
शहडोल	449	74945	1.88	2643.363
अनूपपुर	277	31158	-	1235.466
उमरिया	249	59620	-	1180.167
शाजापुर	9	5559	-	-
रतलाम	29	119229	-	-
मंदसौर	20	6082	-	-
नीमच	14	28859	-	-
देवास	8	3086	-	-
46	**6520**	**3004624**	**1802.94**	**27039.392**